



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श10)

(सं० पटना 1369) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2019

एस०ओ० 410, दिनांक 31 दिसम्बर 2019--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक, संख्यांक 49, तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 124, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अवधि में उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”

2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3940)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 410, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)-3940)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2019

S.O. 410, Dated the 31st December 2019-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification S.O. No. 124, dated the 23rd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 49, dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 19th December, 2019 to 10th January, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7) 3940)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1369-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>